संख्या: 1105/XV–1/2025–31871

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 12 ~~अप्रैल~~ मई 2026।

विषयः श्री केदारनाथ यमुनोत्री, हेमकुण्ड साहिब एवं आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु मानक संचालन प्रकिया (SOP) निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–437/प.क.बो./चा.धाम.यात्रा/2026–27 दिनांक–27.04.2026 के कम में श्री केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुण्ड साहिब एवं आदि कैलाश यात्रा मार्गपर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या: 775/XV-I/23/4(12)22 दिनांक: 01.05.2023 एवं शासनादेश संख्या: 217923/XV-I/24/4(12)22/31871 दिनांक 14 जून, 2024 को अवक्रमित करते हुए, यात्रियों को सुगम यात्रा सुलभ कराने की दृष्टि से श्री केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुण्ड साहिब एवं आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन के लिये नवीन मानक संचालन प्रकिया (SOP) निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

1. मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार यात्रा मार्ग की जांच में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर (लगभग 19 किमी की दूरी) जनहानि, पशुहानि की आंशका के निवारण हेतु अधिकतम 5000 अश्ववंशीय पशु (जिसमें से 4000 यात्रियों हेतु एवं 1000 समान ढुलान हेतु–आना एवं जाना) एवं श्री हेमकुण्ड यात्रामार्ग पर अनावश्यक क्रूरता की संभावना के निवारण हेतु यात्रा मार्ग पर पशुओं को गुनगुने पेयजल तथा शेड–शैल्टर की उचित व्यवस्था होने पर, प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (लगभग 15 कि०मी० की दूरी हेतु 1,050 अश्ववंशीय पशु) एवं मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023O.A No 561/2022(M.A No 54) Urvashi Shobhna Kachari Vs Union of India & Others के कम में यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (लगभग 8.5 कि0मि0 की दूरी हेतु 595 अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित है।

2. चारधाम यात्रा में अश्ववंशीय पशुओं के सुगम संचालन हेतु जारी की जा रही मानक संचालन प्रक्रिया श्री केदारनाथ के अतिरिक्त श्री हेमकुण्ड साहिब, श्री यमुनोत्री एवं आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर भी शत–प्रतिशत रूप में लागू की जानी है।

3. यात्रा मार्ग पर उपयोग में लाये जाने वाले समस्त अश्ववंशीय पशुओं का पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण पशुपालन विभाग अथवा जिला प्रशासन द्वारा नामित पशुचिकित्सक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य रिपोर्ट केवल 45 दिनों के लिए वैध होगी, तत्पश्चात दोबारा परीक्षण अनिवार्य होगा।

4. पशुओं का वार्षिक पंजीकरण जिला पंचायत तथा जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया जायेगा तथा दैनिक टोकन का कार्य पूर्णतः जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। पंजीकरण से पूर्व पशुओं की इयर टैगिंग और माइक्रोचिपिंग अनिवार्य रूप से की जाय। पशु के इयर टैग व माइक्रोचिप के साथ छेड़खानी करना अथवा आवंटित चिप स्ट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध रूप से उपयोग करने पर प्रतिबन्ध होगा तथा नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस तत्काल निरस्त कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

5. पशु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु के पहचान चिह्नीकरण हेतु पशु के कान में टैग अथवा जैसा भी जिला प्रशासन द्वारा निहित हो, जिसका समस्त रिकॉर्ड यथासम्भव डिजिटल माध्यम से यात्रा ट्रैक पर तैनात समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. पंजीकरण से पूर्व स्वास्थ्य जांच के समय प्रत्येक पशु के रक्त की ग्लैडर्स जांच अनिवार्य रूप से की जायेगी। Glanders Test रिपोर्ट नेगेटिव आने के उपरान्त ही पशु का पंजीकरण वैध माना जायेगा। अधिसूचित बीमारियों (जैसे ग्लैडर्स के पाजिटिव केस आने पर Prevention and Control of Infection and Contagious Diseases in Animals Act 2009 की धारा 6 व 20 के तहत अधिसूचित बीमारियों की अनिवार्य रूप से अधिसूचना जारी की जायेगी।)

7. यात्रा मार्ग पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर पशु स्वामी द्वारा अश्ववंशीय पशु को साफ एवं गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जाय, ताकि यात्रा के दौरान अश्ववंशीय पशुधन को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। पशु स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर चारे व इलैक्ट्रोलाइट पिलाने की व्यवस्था रखी जायगी, जिससे अधिक चढाई वाले स्थानों पर पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सकेगा।

8. निगरानी हेतु पानी के ट्रफ एवं संवेदनशील स्थानों के समीप CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे तथा इनकी निगरानी हेतु प्रत्येक जिले में अधिकारी नामित किए जाएँगे।

9. अश्ववंशीय पशुओं के ऊपर प्रयोग में लाये जाने वाली काठी हल्की एवं काठी के नीचे एक मोटे कम्बल का प्रयोग किया जाए, जिससे पशु के शरीर पर काठी से घाव न बन पाए। यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण के समय यदि पशुचिकित्सक पशु को किसी प्रकार से अच्छी स्थिति में नहीं पाता है तो काठी उतारकर पशु का पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया जाय। रेण्डम आधार पर भी पशुचिकित्सक काठी उतारकर पशुओं का परीक्षण सुनिश्चित् करेंगे। जिससे यह पुष्टि हो कि पशु के शरीर पर कोई घाव न हो तथा लंगडाकर न चल रहा हो व अस्वस्थ प्रतीत न हो रहा हो। यात्रा मार्ग की दुकानों पर

पशुओं के लिए हल्की एवं वाटरप्रूफ काठियों की उपलब्धता हेतु प्रयास किया जाए।

10. पशुक्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 38 के अन्तर्गत भार ढोने वाले एवं बोझा ढोने वाले पशुओं के प्रति कूरता नियम 1965 का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।

11. यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के यात्री के परिवहन हेतु लाईट श्रेणी (300 किग्रा से कम वजन) के पशओं के लिए अधिकतम भार 50 किग्रा और भारी श्रेणी (300 किग्रा से अधिक वजन) के पशुओं के लिए अधिकतम भार 90 किग्रा निर्धारित किया जाता है। इस अधिकतम भार में काठी का वजन भी सम्मिलित माना जाएगा।

12. यात्रा के दौरान प्रत्येक पशुस्वामी द्वारा अधिकतम दो अश्ववंशीय पशुओं को संचालित किया जा सकेगा। प्रतिदिन एक ही टोकन निर्गत किया जायेगा जो कि पूर्ण एक चक्कर हेतु मान्य होगा। प्रत्येक पशु के साथ एक संचालक (Hawker) का होना अनिवार्य होगा। यदि यात्रा मार्ग पर कोई भी अश्ववंशीय पशु बिना संचालक अथवा लावारिस स्थिति में पाया जाता है, तो उसे तत्काल कब्जे में लेकर पशुस्वामी के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 291 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पशु क्रूरता निवारण (केस प्रॉपर्टी पशुओं की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 के नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के अनुसार केस प्रॉपर्टी पशु (मामले से संबंधित जब्त पशु) का प्रबंधन/रखरखाव किया जाएगा।

13. यात्रा के दौरान प्रत्येक पशुस्वामी द्वारा संचालित किये जा रहे अश्ववंशीय पशुओं का पशु बीमा संबंधित जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। पशु स्वामी को बीमा राशि केवल तभी देय होगी जब यह सिद्ध हो जाए कि पशु की मृत्यु क्रूरता या चारे उपचार की कमी से नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारणों से हुई है। अपंजीकृत पशुओं को बीमा दावों के लाभ से पूर्णतः बाहर रखा जाएगा।

14. केदारनाथ यात्रा के दौरान अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पशुस्वामी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त यदि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दोषी पाए जाते है तो उनका लाइसेंस, लाइसेंस निर्गत करने वाली संस्था के माध्यम से रद्द करने की संस्तुति की जाऐगी। ऐसी दशा में पशुस्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी।

15. पुलिस विभाग तथ म्यूल टास्क फोर्स द्वारा पशुक्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय सहिता के अन्तर्गत क्रुरता करने वाले के विरूद्व FIR दर्ज की जाय तथा केस प्रॉपर्टी पशुओं को इन्फर्मरी में जब्त कर रखा जायेगा। इस विषय में प्रत्येक सैक्टर मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाते हुये निर्देश निर्गत किये जाये तथा आवश्यक प्रशिक्षण किया जायेगा।

16. यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस अधिकारियों, पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं म्यूल टास्क फोर्स के कार्मिकों का पशु क्रूरता निवारण (PCA Act, 1960) के संबंध में नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों एवं सहयोगी कार्मिकों हेतु रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस (भारतीय सेना), आई०टी०बी०पी० के दिशा–निर्देशन में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे।

17. यदि किसी लाइसेंसधारी पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अपराध का

आरोप लगाया जाता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसका लाइसेंस मुकदमे की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मुकदमे के निपटारे पर यदि लाइसेंसधारी बरी हो जाता है, तो उसके अश्ववंशीय पशुओं का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के उपरान्त ही यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाया जा सकेगा।

18. ब्लैकलिस्ट किये गये पशुस्वामी के सभी पशुओं का पंजीकरण निरस्त किया जाय तथा सूची प्रति माह अन्य जनपदों के साथ साझा किया जाय।
19. यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त चैक पोस्ट स्थापित कर टोकनों की संघन जांच की जाय तथा मा. उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में बिना टोकन के पशुओं का संचालन करने वाले पशु स्वामियो/संचालको को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाय। इस नीति के तहत ब्लैकलिस्ट किए गए सभी व्यक्तियों की पूरी सूची, टोकन देने वाली एजेन्सी के माध्यम से पुलिस विभाग, सम्बिन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, Mule Task Force, जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
20. टोकन प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी और Mule Task Force व अन्य सभी संबंधित यह सुनिश्चित करेंगे कि इस नीति के अंतर्गत ब्लैकलिस्ट में डाला गया कोई भी व्यक्ति यात्रा मार्ग पर घोड़े/खच्चर न चला रहा हो।
21. यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाये जाने वाले अश्ववंशीय पशु कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्यूनतम एक सप्ताह की अनुकूलन अवधि सुनिश्चित की जाये, जिससे पशु क्षेत्र के अनुरूप अपने आपको ढाल सके।
22. सूर्यास्त के बाद व सूर्यादय से पूर्व अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर संचालित नहीं किया जायेगा। पशुओ के रात्रि संचालन को पूर्णतः रोकने हेतु दैनिक टोकन केवल प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक ही निर्गत किये जाए।
23. माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या– 79/2022 में दिनांक 10.08.2023 को पारित आदेश के तहत पशुओं के रात्रि संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
24. मार्गों पर रात्रिगस्त व चैक पोस्टों पर चौबीस घण्टे निगरानी हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किये जाएं। मालवाहक पशुओं को पर्याप्त विश्राम देने के दृष्टिगत चारों जनपदो में एक पृथक सैल गठित किया जाय, जिसके माध्यम से पूर्णतः स्वस्थ मालवाहक पशुओ को 48 घ ण्टे में मात्र एक टोकन निर्गत किया जायेगा।
25. पशुस्वामी द्वारा वन क्षेत्रों मे अवैध डेरा बनाये या पशुओं को मार्ग पर बांधने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय।
26. यात्रा मार्ग पर अत्यंत कठिन परिस्तिथियों एवं ठंडे वातावरण में ओलावृष्टि, बर्फ गिरने पर अश्ववंशीय पशुओं का संचालन प्रतिबंधित किया जाऐ। यात्रा मार्ग पर वर्षा व ओलावृष्टि होने पर पशुस्वामी द्वारा अश्ववंशीय पशुओं को शेड में रोककर खडा किया जायेगा। जिससे अकाल मृत्यु से बचाव किया जा सके। पशुओं हेतु सीमित दूरी पर जिला प्रशासन द्वारा शेड की व्यवस्था की जाएगी।
27. पशुओं पर किसी भी प्रकार की बाहरी सजावट साज–सज्जा किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
28. निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित होंगी :–

- पशु पर निर्धारित क्षमता से अधिक वजन लादना।
- घायल अथवा बीमार प्रतीत हो रहे पशु से कार्य कराना।
- पशु के मुँह के अन्दर नुकीली बीट डालकर चलाना।
- पशु को यात्रा मार्ग पर तेज गति से दौड़ाना, जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा हो।
- पशु को मारना, पीटना व दागना।
- बिना टोकन व पंजीकरण के पशु का यात्रा मार्ग पर संचालन।
- मृत पशु के शरीर को लावारिस छोडना।
- पशु के ईयर टैंग व माइक्रोचिप के साथ छेड़खानी करना।

29. अश्ववंशीय पशुओं के मल–मूत्र के कारण उत्पन्न हो रही समस्या के निदान हेतु समुचित सफाई व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
30. यात्रा में प्रयोग में लाये जा रहे अश्ववंशीय पशुओं हेतु दाने एवं चारे की व्यवस्था यात्रा मार्ग पर निर्धारित स्थानों पर किया जाना उचित होगा। जिन संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत विक्रेताओं द्वारा यात्रा मार्ग अथवा आस–पास पशुओं हेतु चारा एवं दाना का व्यापार अथवा निःशुल्क वितरण किया जा रहा हो, पशुपालन विभाग को अधिकार होगा कि, वह विक्रय योग्य सामग्री का औचक निरीक्षण/जांच कर सकेंगे और यदि आवश्यकता हो तो समय–समय पर नियमानुसार सैम्पलिंग भी करेंगे।
31. यात्रा मार्ग पर संचालित अस्थायी पशुचिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु समस्त अश्ववंशीय पशुओं का चिकित्सा पंजिका का अभिलेखीकरण किया जायेगा व चिकित्सा के दौरान पशु यदि कार्य करने योग्य नहीं है तो पशुचिकित्सक द्वारा टोकन प्रदान करने वाली संस्था अथवा कन्ट्रोल रुम को सूचित करते हुए पशु का ईयर टैग नं० तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। उन अश्ववंशीय पशुओं को स्वस्थ होने तक यात्रा में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
32. यात्रा मार्गो पर अत्यधिक भीड़ एवं भगदड़ के दृष्टिगत जिला प्रशासन मार्ग पर सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु पशुओं को 200 से 250 के जत्थों मे कुछ समय के अन्तराल पर यात्रा मार्ग पर छोड़ा जाय।
33. कतिपय पशुस्वामियों द्वारा यात्रा मार्गों में अन्य किसी संस्था/व्यापारी द्वारा निर्गत चिप स्ट्रैप उतार कर अन्य पशुओं पर अवैध रूप से उपयोग में लाये जा रहे हैं तो इस अनियमितता की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जायेगी।
34. यात्रा मार्गों के आधार शिविरों एवं जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थानों पर स्थायी/अस्थायी पशुचिकित्सालय की स्थापना की जायेगी, जिनमें आवश्यकतानुसार पशुचिकित्सक तथा पैरावेट की तैनाती की जायेगी।
35. यात्रा के दौरान घायल/बीमार हुए अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर चलने की अनुमति नही दी जायेगी। अस्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर संचालित है तो जिला प्रशासन, पशुस्वामी के विरूद्ध अर्थ दंड एवं उनका अनुज्ञा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
36. यात्रा मार्गो पर अश्ववंशीय पशुओं की मृत्यु की दशा में शीघ्र–अतिशीघ्र मृत अश्ववंशीय

पशुओं की सूचना निकटतम अस्थायी पशुचिकित्सालय में तैनात पशुचिकित्सक को प्राप्त होने पर पशुचिकित्सक द्वारा शव–विच्छेदन रिपोर्ट निर्गत किये जाने के उपरान्त जिला प्रशासन द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चिहिनत भूमि पर शव का निस्तारण किया जाय तथा शवविच्छेदन की वीडियोग्राफी भी करायी जाय तथा मृत अश्ववंशीय पशुओं के शव को Body bag से ढक कर रखा जायेगा। मृत पशुओं को जल स्रोतों से कम से कम 100 मीटर दूर एवं गहरे गड्ढे में गाड़ना अनिवार्य है।

37. पशुओं द्वारा जनित मल–मूत्र को जल स्रोतों में बहाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। उचित सफाई व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा जो समस्त गोबर को निर्धारित स्थान पर लाकर निस्तारण करेंगे।

38. यदि प्रारम्भिक य नियमित जांच में कोई मादा अश्ववंशीय पशु गर्भवती पायी जाती है तो उसे यात्रा मार्ग पर संचालित न किया जाये।

39. यात्रा मार्गों पर टोल–फ्री नम्बर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर होने के कारण किसी भी आपातकालीन स्थिति में जिला प्रशासन से संपर्क न हो पाने की स्थिति मे टोल–फ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोड़ने की आवश्यक कार्यवाही की जाए जिससे यात्रियों एवं अश्ववंशीय पशु स्वामियों की समस्या का समाधान किया जा सके। पशु क्रूरता और व्यवस्था संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु एक स्वतंत्र और 24x7 प्रभावी हेल्पलाइन नंबर और उसके वृहद प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।

40. अश्ववंशीय पशुओ के संचालन की निरन्तर निगराही हेतु एक सुदृढ़ एवं एक नियमित रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से संचालन एवं यात्रा से सम्बन्धित साप्ताहिक के आधार पर राज्य स्तरीय समिति को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे।

41. दैनिक टोकन से प्राप्त होने वाली धनराशि जिला प्रशासन के अधीन 'यात्रा सेल' में एकत्रित की जानी चाहिए, जिसका उपयोग पशुओं हेतु ही किया जाए, जैसे रुग्णालय के निर्माण एवं संचालन, पानी के प्याऊ, शेड निर्माण तथा संविदा पशुचिकित्सकों एवं म्यूल टास्क फोर्स के वेतन हेतु किया जाएगा, जिससे यात्रा मार्ग पर बुनियादी ढांचे का स्थायी विकास सुनिश्चित हो सके।

42. यात्रा मार्ग हेतु म्यूल टास्क फोर्स का गठन ना किये जाने पर तत्काल किया जाएं तथा पशुओं के उपयोग की निगरानी हेतु जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठकें मासिक आधार पर अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएंगी। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि अश्ववंशीय पशुओं के संचालन को विनियमित करने वाली एजेंसियों में हित संघर्ष न हो। प्रत्येक MTF के सदस्य तथा टोकन प्रदान करने वाली संस्था के प्रत्येक सदस्य से एक शपथ पत्र/वचनबद्धता अनिवार्य रूप से ली जाए, जिसमें यह घोषित हो कि वे या उनके निकटतम परिवार के सदस्य यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं का संचालन नहीं कर रहे हैं और न ही भविष्य में करेंगे।

43. प्रत्येक यात्रा मार्ग पर 24x7 इन–पेशेंट सुविधा एवं पशु चिकित्सकों युक्त इन्फर्मरी स्थापित की जाएगी। बीमार, घायल, परित्यक्त एवं केस प्रॉपर्टी पशुओं को इन्फर्मरी में सुरक्षित रखा जाएगा तथा इन्फर्मरी का संचालन जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति के अंतर्गत किया जाएगा।

2– कृपया उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 11-05-2026
17:19:56

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव

पत्र संख्या–तदैव एवं तद्दिनांकित

1. मण्डल आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

सन्तोष बड़ोनी
अपर सचिव